(118)

343

नि/निग०/रीवा/(भू.रा०/2017/3458

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग, रीवा (म०प्र०)

जीतेन्द्र तिवारी पिता स्व0 श्री कैमला प्रसाद तिवारी, नि०ग्रा0 धारावीभा, तहसील- मनगवां, जिला-रीवा (म0प्र0) ---निगरानीकर्ता /आवेदक

बनाम

(1)	पंकज तिवारी	(तीनों के पिता स्व0 श्री विनोद तिवारी,
(2)	अम्बुज तिवारी	(सभी नि0 ग्रा0 धारावीभा, तह0 मनगवां,
(3)	आशुतोष तिवारी	(जिला- रीवा (म0प्र0)

----गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

आवेदक जीतेन्द्र तिवारी द्वारा पेश 22.9.2017

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय मनगवां, के प्रक0क्र0-17/ ए-70/2015-16, आदेश दि0 31-08-2017.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0 ।

महोदय,

:: निगरानी का संक्षिप्त विवरण ::

यह कि ग्राम गढ़ की भूमि नं. 880 का बंटवारा पंजी क्र0-68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, निर्णय दिनांक 21-10-1994 में हुआ था, जिसमें निगरानीकर्ता के पिता स्व0 श्री कैमला प्रसाद तिवारी को भूमि नं. 880/2 रकबा 0.053 हे0 प्राप्त हुआ था । तबसे निरन्तर निगरानीकर्ता के पिता तथा निगरानीकर्ता स्वयं काबिज -दाखिल चला आ रहा था । किसी प्रकार का कोई अवरोध अनावेदक पैदा नहीं किए थे । जब निगरानीकर्ता का मकान फोरलेन रोड निर्माण में गिर गया तब निगरानीकर्ता ने भूमि नं. 880/2 रकबा 0.053 हे0 में मकान निर्माण कराना चालू किया । तब न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय गढ़ के यहां बेदखली हेतु प्रकरण क्र0-8/अ-70/013-14 दायर किया, जिसमें अनावेदक पंकज तिवारी ने स्वयंभूजी स्थगन आदेश जारी कर लिया और पुलिस बल से मकान निर्माण में अवरोध कराने लगा तब

क्रमशः....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/2017/3458 जिला–रीवा

जीतेन्द्र तिवारी/ पंकज तिवारी व अन्य

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री **कमेलश्वर** तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 17/ए-70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	